

भारत सरकार
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग, सेक्टर 31-ए
चंडीगढ़-160030

फाइल नम्बर: 9-PBB389/2016-CHA

दिनांक: सोमवार, 4 जुलाई 2016

सेवा में,

नोडल ऑफिसर,
एफ० सी० ए० & सी० सी० एफ० (एफ सी)
पंजाब सरकार, वन कॉम्प्लैक्स, सेक्टर 68,
एस० ए० एस० नगर (मोहाली), पंजाब

विषय: **Diversion of 0.158 hectare of forest land in favour of PSPCL for construction of 220 KV transmission line from 220 KV Focal Point Nabha to 220 KV Bhagwanigarh on DC Tower line under Forest Division and District Sangrur Punjab**

सन्दर्भ: 1. पंजाब सरकार के पत्र संख्या FCA/1980/160/2016/6060 दिनांक 21.06.2016.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.158 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करें:-

पटियाला वन मण्डल:-

i. प्रस्ताव के specific डिटेल्स भेजें जैसे कि :-

- ट्रांसमिशन लाइन की लम्बाई |
- वन क्षेत्र से गुजरने की लम्बाई |
- गैर क्षेत्र से गुजरने की लम्बाई |
- वन भूमि पर टॉवरो की संख्या |
- गैर भूमि पर टॉवरो की संख्या |

3. उपरोक्त जानकारी, इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें | जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

(एस० डी० शर्मा)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

- वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला संगरूर, पंजाब।
- महरवान सिंह, अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता, TLSC मण्डल, PSPCL, पटियाला।